



NDIS Quality
and Safeguards
Commission

प्रिय राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (NDIS) प्रतिभागी, देखभालकर्ता, परिवार के सदस्य या प्रतिनिधि

यह पत्र आपको इस बारे में बताने के लिए है कि NDIS क्वालिटी एंड सेफगार्ड्स कमीशन (NDIS Commission) आपकी मदद कैसे कर सकता है।

NDIS आयोग क्या है?

एन डी आई एस सहायता और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एन डी आई एस आयोग की स्थापना की गई थी, जो एन डी आई एस प्रदाता प्रदान करते हैं।

एन डी आई एस आयोग सेवा प्रदाताओं के लिए नियम बनाता है ताकि सेवाएं सुरक्षित रहें और गुणवत्ता मानकों को पूरा करें। विकलांग लोगों को सुरक्षित रहने और सेवा प्रदाताओं व उसके कार्यकर्ताओं से गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है, जिन्हें आप NDIS के तहत अपनी सहायता के लिए चुनते हैं।

हम आपके लिए क्या करेंगे

विकलांग लोग, जो NDIS वित्त पोषित सेवाएं प्राप्त करते हैं, NDIS आयोग:

- सेवा प्रदाताओं के बारे में आपकी शिकायतों को सुनने और उन्हें हल करने के लिए काम करने में सहायता करता है
- सेवा प्रदाताओं को आपके किसी भी नुकसान से मुक्त होने के अपने अधिकार को बनाए रखने में मदद करता है
- एन डी आई एस आचार संहिता और एन डी आई एस अभ्यास मानकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को यह बताता है कि वे सुनिश्चित करें कि कि आपको एक अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें क्या करना है।
- पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं को दुर्व्यवहार और उपेक्षा सहित किसी भी गंभीर घटना की (आरोपों सहित) रिपोर्ट करने की आवश्यकता पर जोर देता है
- भविष्य की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जानकारी और सलाह प्रदान करता है।

शिकायत करना ठीक है

यदि आप एन डी आई एस की सहायता और सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस बारे में आप अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। शिकायत करने से आपको अपने और अन्य लोगों के लिए सहायताओं और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

T 1800 035 544
E contactcentre@ndiscommission.gov.au

PO Box 210
Penrith NSW 2750
www.ndiscommission.gov.au

हम आपको पहले अपने सेवा प्रदाता से बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप देख सकें कि क्या आप अपनी चिंताओं को हल कर सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, या एक निष्पक्ष वकील से, आपकी मदद करने के लिए बात कर सकते हैं। आप डिसएबिलिटी एडवोकेसी फांडर पर स्वतंत्र वकीलों की सूची पा सकते हैं।

यदि आपको लगता है कि सेवा प्रदाता ने आपकी शिकायत को अच्छी तरह से नहीं संभाला है, या आप स्वयं अपने प्रदाता से बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं।

आप हमसे शिकायत करके या हमारे ऑनलाइन शिकायत संपर्क फॉर्म [complaints contact form](#) के माध्यम से हमसे संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। जब आप हमसे शिकायत करते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप कैसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं (जैसे टेलीफोन, ईमेल, आसान पढ़े गए पत्र, ऑसलन या किसी अन्य भाषा या सहायता प्राप्त संचार का रूप में)।

और अधिक जानकारी प्राप्त करें

एन डी आई एस प्रतिभागियों के वेबपेज पर [NDIS participants webpage](#), प्रतिभागी वेलकम पैक [Participant Welcome Pack](#) के माध्यम से, या हमें (लैंडलाइन से मुफ्त कॉल) **1800 035 544** पर कॉल करके आप एन डी आई एस आयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए इसका क्या मतलब है, भी सम्मिलित है।

मैं आपके, आपके परिवार, देखभाल करने वालों और एन डी आई एस के हिस्से के रूप में आपको मिलने वाली सहायता और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करने को तत्पर हूँ।

हम आपके साथ और सेवा प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समस्याओं को हल करने के लिए और एन डी आई एस सहायता की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए काम करेंगे - आप और अन्य लोगों के लिए, जो एन डी आई एस वित्त पोषित सेवाएं प्राप्त करते हैं।

सादर

ग्रीम हेड ए.ओ.

एन डी आई एस गुणवत्ता और सुरक्षा आयुक्त

1 December 2020

Ref: D20/25124



www.facebook.com/NDISCommission



www.linkedin.com/company/ndiscommission

T 1800 035 544

E contactcentre@ndiscommission.gov.au

PO Box 210

Penrith NSW 2750

www.ndiscommission.gov.au